छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
।। आदेश ।।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.05.2025

क्रमांक ESTB-101/143/2025-FINANCE :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा–2023 में संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, तीन वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर कनिष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में अनन्तिम (Provisional) रूप से पैरा 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1	1	सुश्री मोनिका साहू पिता–श्री जे.पी. साहू पता–मकान नं. 1838, बोरसी बस्ती, वार्ड–51, दुर्ग, थाना–पद्मनाभपुर, जिला–दुर्ग (छ.ग.), पिन–491001	FSO-UR-F-O
2	2	श्री शिशिर द्विवेदी पिता–श्री सुरेन्द्र द्विवेदी पता–हाउस नं. 54, मदर टेरेसा मायापुर, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), पिन–497001	FSO-UR-O
3	3	श्री सुमीत कुमार मनहरे पिता–श्री संतोष कुमार मनहरे पता– ग्राम पेंड्रीतराई, म. नं. 85, पोस्ट सेमरिया, तहसील धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.), पिन–491332	FSO-SC-O
4	4	श्री आलोक सिंह मरकाम पिता–श्री घासीराम मरकाम, पता–मकान क्रमांक 19, ठाकुर देव के समीप, ग्राम–मोहदा, पोस्ट धवलपुर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) पिन–493889	FSO-ST-O

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
5	5	श्री योगेश खरे पिता–श्री उमेंद सिंह खरे, पता–म.क्र. 130, भाठापारा–02, ग्राम–संबलपुर, तह.– डौण्डी लोहारा, जिला–बालोद (छ.ग.) पिन– 491771	FSO-ST-O

2/ 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत उपस्थित होने पर संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ब) दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में उनके दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए।

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी।

2.4 सभी अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से स्वयंमेव निरस्त हो जावेगा।

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे।

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संचालनालय, कोष एवं लेखा इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में कार्यभार ग्रहण करते समय (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियॉ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा

आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्व भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.8 चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा।

2.9 चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता पृथक से निर्धारित की जाएगी।

2.10 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.11 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

2.12 यह ''नियुक्ति'' सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 03.05.2023 में उल्लेखित अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

2.13 उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

संलग्न :— यथोपरि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Rajeev Kumar Jhade
Date: 30-05-2025
16:26:34

(राजीव कुमार झाड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. ESTB-101/143/2025-FINANCE/4 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 .05.2025

प्रतिलिपिः—

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय वित्त मंत्रीजी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर को उनके ज्ञाप क्रमांक 4522/06/चयन/2024/02, दिनांक 11.12.2024 के संदर्भ में
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर
8. कलेक्टर, जिला—रायपुर
9. संचालक, कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
10. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीद्वार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
11. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
13. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
14. संबंधित अभ्यर्थी..
....
आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में मूल प्रमाण—पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।
15. आदेश फोल्डर हेतु,

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance .cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु

Digitally signed by
Rajeev Kumar Jhade
Date: 30-05-2025
16:29:31

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग